

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

सरकारी आदेश सं०-एसीस-01/नि०-48/09- 570

पटना, दिनांक- 12.07.18

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचन्द पटेल मार्ग,  
बिहार, पटना।

विषय- श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सालयों में चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण/स्वास्थ्य शिविर आयोजन हेतु कुल ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये) मात्र के व्यय पर चालू योजना की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2. इस हेतु व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद में 5.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।
3. उक्त बजट प्रावधान मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उपशीर्ष-0103 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, विपत्र कोड-26-2210011020103 के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषय शीर्ष-28 व्यावसायिक सेवाएं-0103.28.04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद के अधीन विकलनीय है।
4. क्षमता निर्माण/स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चिकित्सालय स्तर से किया जायेगा जो निम्न प्रकार होगा :-

क्र०	क०रा०बी० चिकित्सालय का नाम	प्रस्तावित राशि	स्वास्थ्य शिविर का आयोजन	
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1	जमालरोड (कृष्णापुरी)	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
2	कंकड़बाग	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
3	दीघा	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
4	पटनासिटी	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
5	हाजीपुर	56000	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
6	मुंगेर	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
7	समस्तीपुर	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
8	कटिहार	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
9	गया	55500	अगस्त-सितम्बर में	दिसम्बर-जनवरी में
कुल 5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र				

क०पृ०उ०

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमालरोड/कंकड़बाग/दीघा/पटनासिटी/हाजीपुर/मुंगेर/समस्तीपुर/कटिहार/गया होंगे।
6. इस राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय कोषागार, पटना/पटनासिटी/वैशाली (हाजीपुर)/मुंगेर/समस्तीपुर/कटिहार/गया कोषागार द्वारा किया जायेगा।
7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-एसीस-01/नि0-48/09 के पृ0-53/टि0 पर प्राप्त है।
8. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-एसीस-01/नि0-48/09 के पृ0-54/टि0 पर प्राप्त है।

(के0 सेथिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-12.02.18

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-48/09- 570

प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

(के0 सेथिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-12.02.18

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-48/09- 570

प्रतिलिपि-संबंधित प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

(के0 सेथिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-12.02.18

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-48/09- 570

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/श्रम संसाधन विभाग/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 सेथिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव